संख्या-6821/X-2-2007-12(28)/2006

प्रेषक,

आर0के0 मिश्र
अपर सचिव
उत्तराखण्ड शासन.

सेवा में,

जिला संयोजक/नोडल प्रभागीय वनाधिकारी
नैनीताल, उधमसिंह नगर, चम्पावत,
देहरादून, टिहरी, पौड़ी, चमोली, उत्तरकाशी, हरिद्वार

वन एवं पर्यावरण अनुभाग-2

देहरादूनः दिनांक 17 मार्च, 2008

विषयः- अनुदान संख्या-27 में आयोजनागत पक्ष की जिला सेक्टर की योजना- "भवन निर्माण एवं बिजली पानी की व्यवस्था" के लिए वर्ष 2007-08 की वित्तीय स्वीकृति.

महोदय,

उपरोक्त विषयक मुख्य वन संरक्षक नियोजन एवं वित्तीय प्रबंधन, उत्तराखण्ड, देहरादून. के पत्रांक-नि.808/35-6(जी0सै0), दिनांक 15 दिसम्बर, 2007, के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय वन विभाग के अन्तर्गत आयोजनागत पक्ष की जिला सेक्टर की योजना **"भवन निर्माण एवं बिजली पानी की व्यवस्था"** के लिए चालू वित्तीय वर्ष 2007-08 में पूर्व में स्वीकृत धनराशि रू0 3,28,00,000/- के अतिरिक्त रू099,00,000/- (रूपये निन्यानवे लाख मात्र) की धनराशि संलग्न तालिका में अंकित जनपदवार विवरण अनुसार आपके नियंत्रण पर रखे जाने की सहर्ष स्वीकृति निम्न शर्तों एवं प्रतिबंधों के अधीन प्रदान करते हैं:-

1. उक्त स्वीकृत व्यय चालू योजनाओं पर ही किया जाये और किसी भी दशा में उक्त धनराशि का उपयोग नये कार्यों के कार्यान्वयन के लिए न किया जाय. विभिन्न मदों में व्यय वित्त अनुभाग-1 के शासनादेश सं0-255/XXVII(1)/2007, दिनांक 26 मार्च, 2007 तथा पत्र संख्या-599/XXVII(1)/2007, दिनांक 12 जुलाई, 2007, द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुसार सक्षम स्तर की अनुमति यथा स्थिति शासन का अनुमोदन प्राप्त कर ही किया जाये. निर्माण कार्य सम्बन्धी आगणनों पर सक्षम स्तर का अनुमोदन पूर्व में ही प्राप्त कर लिया जाय तथा यथा आवश्यकता नियमानुसार प्रशासनिक स्वीकृति पृथक से प्राप्त की जाय. सम्भावित व्यय की फेजिंग (त्रैमास के आधार पर) तथा अन्य सूचनायें एवं विवरण समयबद्ध आधार पर शासन को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाय. किसी भी शासकीय व्यय हेतु भण्डार क्रय प्रक्रिया (स्टोर परचेज रूल्स) वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-1 (वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन नियम) वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-पांच भाग -1 (लेखा नियम) आय-व्ययक सम्बन्धी नियम (बजट मैनुअल), सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के शासनादेश तथा अन्य सुसंगत नियम, शासनादेश आदि का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय.
2. योजना की विभिन्न मदों पर व्यय शासन के वर्तमान नियमों एवं आदेशों के अनुसार ही किया जाये तथा जहां आवश्यकता हो सक्षम अधिकारी/शासन की पूर्व सहमति/स्वीकृति ली जाय.
3. उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय शासन द्वारा स्वीकृत प्रस्ताव/योजनाओं के सापेक्ष निर्धारित कार्यों पर ही किया जाय तथा किसी भी स्थिति में स्वीकृत धनराशि का व्यय अन्य मद में नहीं किया जाय.
4. अवमुक्त की जा रही समस्त धनराशि सीधे सम्बन्धित जिला स्तरीय अधिकारियों के नियंत्रण पर रख दी जाय तथा धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार ही किया जाय.
5. मितव्ययता के सम्बन्ध में नियमों का कड़ाई से पालन किया जाय.
6. स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र महालेखाकार एवं शासन के वित्त विभाग को वर्ष के अन्त तक अवश्य उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाय.
7. अप्रयुक्त धनराशि का बजट मैनुअल के प्रावधानों के अन्तर्गत समय सारणी के अनुसार समर्पित किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा.

क्रमशः.....2

2. इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वालू वित्तीय वर्ष 2007-08 के आय-व्ययक अनुदान संख्या-27 के लेखा शीर्षक 2406-वानिकी तथा वन्य जीवन 01-वानिकी 800-अन्य व्यय 91-जिला सेक्टर योजना 9102-भवन निर्माण एवं बिजली पानी की व्यवस्था की मानक मद 24-वृहत निर्माण कार्य के सामने डाला जायेगा.

भवदीय

(आर0के0 मिश्र)
अपर सचिव

संख्या-6821(1)/X-2-2007, तद्दिनांकित.

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. महालेखाकार(लेखा एवं लेखा परीक्षा), उत्तराखण्ड, ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, सहस्त्रधारा रोड, माजरा, देहरादून.
2. प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड, देहरादून.
3. मुख्य वन संरक्षक, नियोजन एवं वित्तीय प्रबन्धन, उत्तराखण्ड, देहरादून.
4. सचिव, नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून.
5. अपर सचिव, वित्त अनुभाग-4, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून.
6. निजी सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी, उत्तराखण्ड शासन.
7. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून.
8. आयुक्त, गढ़वाल/कुमाऊं मण्डल, उत्तराखण्ड.
9. सम्बन्धित जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड.
10. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें, देहरादून.
12. सम्बन्धित कोषाधिकारी/मुख्य / वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड.
13. वरिष्ठ राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन, सचिवालय, देहरादून.
14. प्रभारी, एन.आई.सी., उत्तराखण्ड सचिवालय, देहरादून.
15. गार्ड फाइल (जे).

(ओ0पी0 तिवारी)
उप सचिव

शासनादेश सं0-6821X-2-2007-12(28)/2006, दि0 मार्च, 2008 का संलग्नक-

(धनराशि रू0 हजार में)

क्र0 स0	जनपद	भवन निर्माण एवं बिजली पानी की व्यवस्था योजना		
1	2	3	4	5
		पूर्व में निर्गत धनराशि	वर्तमान स्वीकृति	योग
1	नैनीताल	1347	653	2000
2	उधमसिंह नगर	1010	490	1500
3	चम्पावत	2222	1078	3300
4	देहरादून	4040	1960	6000
5	टिहरी	1750	850	2600
6	पौड़ी गढ़वाल	3232	1568	4800
7	चमोली	2222	1078	3300
8	उत्तरकाशी	2693	1307	4000
9	हरिद्वार	1884	916	2800
	योग	**20400**	**9900**	**30300**

(वर्तमान स्वीकृति रू0 निन्यानबे लाख मात्र)

(आर0के0 मिश्र)
अपर सचिव